न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 17/2015 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मांगीलाल पुत्र बन्नाराम निवासी सालियों की काकर नारलाई हाल बी.एस. 126, शिवाजी नगर, भैरवा फैक्ट्री के सामने, पाली (राज.)		1. जहुर मोहम्मद पुत्र स्व. अकबर खान 2. महबुब पुत्र स्व. अकबर खान 3. युसुफ पुत्र स्व. अकबर खान, निवासीगण नई बडेर के पास, नारलाई, तहसील देसूरी जिला पाली (राज.) 4. सकिना पुत्री स्व. अकबर खान पत्नी कासीम खान निवासी निपल 5. मदिना पुत्री स्व. अकबर खान निवासी बिलाडा हाल नई बडेर के पास, नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली(राज.) 6. ग्राम पंचायत नारलाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नारलाई तहसील देसूरी जिला पाली (राज.)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 22.03.2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, नारलाई के मिसल संख्या 01/1999–2000, आदेश दिनांक निल प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.11.2004 एवं उसकी पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 2595 दिनांक 27.12.2004 जो अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता अकबर खान पुत्र भूरे खां मुसलमान निवासी नारलाई के हक में जारी किया गया, को निरस्त कराये जाने हेतु पेश की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत नारलाई का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम नारलाई तहसील देसूरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पिता अकबर खान के नाम विक्रय विलेख संख्या 2595 दिनांक 27.12.2004 को जारी किया गया है। पट्टा जिस भूमि का जारी किया गया है। वह भूमि आबादी भूमि नहीं हैं। उक्त भूमि देसूरी नाडोल रानी जाने की मुख्य सड़क की भूमि है। जैर निगरानी भूमि के पश्चिम में देसूरी नाडोल रानी सड़क है तथा पूर्व में कृषि भूमि ठोकरावा का जाव व दक्षिण में भी ठोकरावा का जाव है। उक्त भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में आती है। कृषि भूमि में जाने का रास्ता उसी भूमि में आता है। उक्त भूमि सड़क के मध्य से 50 फुट दूरी पर स्थित है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नियमों के विरूद्ध है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियमों की अनदेखी की गई है। अकबर खान द्वारा एक प्रार्थना पत्र जैर निगरानी भूमि का विक्रय विलेख अपने हक में जारी कराने हेतु दिनांक 23.03.2000 को प्रस्तुत किया जिसकी मिसल दिनांक 23.03.2000 को कायम की गई जिसके संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया। आदेशिका दिनांक 09.11.2000 में सचिव को नक्शा बनाने हेतु आदेश दिया गया एवं आदेशिका दिनांक 24.05.2003 के अनुसार सचिव द्वारा नक्शा बनाकर पेश करने पर तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। जिस बाबत प्रस्ताव संख्या 8 लिया हुआ है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः:2

लेकिन आदेशिका में सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है मात्र मोहर लगी हुई है। मिसल में आदेशिका कम संख्या 4 लिखी हुई है। जिसमें न तो दिनांक अंकित है न ही हस्ताक्षर है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक माह के आपत्ति इश्तिहार जारी किया जावें। अन्तिम आदेशिका जिसके अनुसार मिसल फैसल की गई, उसमें भी दिनांक अंकित नहीं है तथा न ही अंतिम निर्णयकर्ता के हस्ताक्षर किए हुए है। जिनके अभाव में इस निर्णय को प्रभावी नहीं माना जा सकता तथा ऐसे निर्णय की पालना में जारी विक्रय विलेख को भी नियमानुसार नहीं माना जा सकता। इस प्रकार जारी विक्रय विलेख निरस्त योग्य है। जैर निगरानी भूखण्ड का जो नक्शा तैयार किया गया है। उसमें प्रार्थी के हस्ताक्षर नहीं है। आबादी भूमि के निरीक्षण का प्रपत्र मनोनित तीन वार्ड पंचो की कमेटी द्वारा तैयार किया गया उसमें प्लॉट पुशतैनी होने तथा 50 वर्षो पूर्व का निर्मित होने का अंकन किया गया है। जबकि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में प्लॉट का वर्णन है एवं प्रार्थी स्वयं ने 40 वर्ष का कब्जा बताया है। उपरोक्त निरीक्षण प्रपत्र पर गठित कमेटी के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है। जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया। जो मिसल में संलग्न है। उक्त नोटिस पर न तो पंचायत की मोहर है, न सरपंच के हस्ताक्षर है एवं न ही चस्पा किए जाने बाबत रिपोर्ट पर मौतबिरानों अथवा चस्पा करने वाले शक्स के हस्ताक्षर अंकित है। जो बयान मिसल में लिए गए है। उसमें एक बयान रमजू खां के है जिस पर बयान लेने वाले व बयान देने वाले दोनों के ही हस्ताक्षर नहीं है तथा दुसरे बयान पर बयानों का तो अंकन है। लेकिन बयान देने वाले का नाम, हस्ताक्षर व बयान लेने वाले के हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण कार्यवाही स्पष्ट रूप से बिना नियमों की पालना किए हुए व फर्जी तरीके से की हुई स्पष्ट है। इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है। उक्त पट्टा मात्र 200 रूपये में जारी किया गया है। जो आबादी भूमि पर पुराने कब्जों को विनियमतिकरण के तहत किया जाता है। जैर निगरानी भुखण्ड आपसी बातचीत से विक्रय किया गया है। जिसमें नियमानुसार विकास अधिकारी द्वारा आरक्षित दर से कम नहीं किया जाना चाहिए था तथा जिसकी स्वीकृति विकास अधिकारी से किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर पंचायत द्वारा नियमों की अनदेखी कर विक्रय विलेख जारी किया गया है। जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थी द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि अप्रार्थीगण का जैर निगरानी भूखण्ड पर उसके पिता के समय से कब्जा है। उक्त भूखण्ड सड़क सीमा से बाहर है। जैर निगरानी विक्रय विलेख सन् 2004 में जारी किया गया उस समय देसूरी नाडोल रानी सडक ग्रामीण सड़क थी। नेशनल हाईवे नहीं था। इसलिए सड़क के मध्य से 50 फिट की दूरी छोडकर जारी किया गया। जो विधि अनुरूप है। मिसल में जो कार्यवाही की गई एवं उसमें कमियां रही उसके लिए विक्रय विलेख प्राप्तकर्ता अप्रार्थीगण के पिता अकबर खान अथवा उसके वारिशान को जिम्मेदार ठहराया जाकर उनको उनके हक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जैर निगरानी भूखण्ड का विक्रय विलेख अप्रार्थीण के पिता के हक में बातचीत के माध्यम से किया गया है। जो 200 रूपये में किया गया, जो न्यायोचित होने से यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा जो आदेशिकाएं लिखी गई है। उनमें से आदेशिका दिनांक 24.05.2003 जिसमें तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण का अंकन है। उस बाबत ही प्रस्ताव संख्या 8 लिया हुआ है। अन्य सभी आदेशिकाओं के संबंध में प्रस्ताव रजिस्टर में किसी तरह का प्रस्ताव नहीं लिया गया है। जो विधि अनुरूप नहीं है।

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

क्रमशः::3

आदेशिका दिनांक 24.05.2003 व इससे आगे की लगातार दो आदेशिकाओं में न तो तारीख का अंकन है, न ही सरपंच आदि के हस्ताक्षर है। यहां तक की अंतिम आदेशिका के जरिये मिसल निर्णित की गई, उसमें भी तारीख अथवा आदेशिका पारित करने वाले सरपंच के हस्ताक्षर व मोहर अंकित नहीं है। जो स्पष्ट रूप से नियमों की पालना नहीं किया जाना दर्शाता है। आबादी भूमि के निरीक्षण प्रपत्र पर भी गठित कमेटी के तीन वार्ड पंचो में से किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस किस के द्वारा जारी किया गया, किस दिनांक को जारी किया गया, उस पर न तो हस्ताक्षर है, न ही मोहर है तथा उक्त नोटिस कहां चस्पा किया गया है, किन मौतबिरानों के रूबरू चस्पा किया गया है एवं किस व्यक्ति द्वारा चस्पा किया गया है। इन सब का अंकन नहीं होने से आपत्ति इश्तिहार एवं मौका निरीक्षण की वैधता पर स्पष्ट रूप से प्रश्नचिन्ह लग जाता है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा रमजू खां के बयान लिखे गए है। उन पर न तो रमजू खां के हस्ताक्षर है, न ही बयान लेने वाले के हस्ताक्षर है तथा एक अन्य बयान संलग्न मिसल है। जिसमें बयान देने वाले का नाम अंकित नहीं है न हस्ताक्षर है। इससे न तो यह पता चलता है कि बयान किस व्यक्ति द्वारा दिए गए है, न ही बयान लेने वाले के हस्ताक्षर है। इस प्रकार जैर निगरानी पट्टा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही नियमों की पालना नहीं करते हुए की गई है। मिसल में अंकित अंतिम निर्णय, आपत्ति आक्षेप, तीन वार्डपंचों की गठित कमेटी की मौका रिपोर्ट व बयानों में हस्ताक्षर नहीं होने एवं आदेशिकाओं के संबंध में प्रस्तावों का अभाव होने से सम्पूर्ण कार्यवाही प्रभाव शुन्य है। ऐसी स्थिति में जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत नारलाई तहसील देसूरी द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 05.11.2004 एवं मिसल संख्या 1/1999–2000 में अंकित आदेश की पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 2595 दिनांक 27.12.2004 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत नारालाई का रेकर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर, पाली
पाली (राज.)